न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/116/2021, रजि0 न0 2021/223

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
सुभाष तिवाडी पुत्र स्व0 श्री बिहारी लाल शर्मा, निवासी राजपूत कॉलोनी कठूमर रोड एस.डी.एम. कोर्ट के पास लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर (राजस्थान)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– **24.08.2021**

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः बिन्दुवार वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 24.08.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/1484 दिनांक 06.08.2021 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, की अति0 जिला कलक्टर प्रभारी अधिकारी स्थापन, कलेक्ट्रेट अलवर के पत्रांक प.1(अ)14(08)विजा/स्था/2021/4339 दिनांक 22.06.2021 से प्राप्त 4 पृष्ठीय सूचना पत्र कमांक लो.सू.अ./विविध/2021/1195 दिनांक 24.06.2021 के माध्यम से पूर्व में ही अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। कार्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही/सूचना उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित नही है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर